कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– सचिव/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अधिकांश व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अपराह्न प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-4 में विभिन्न इन इकाई पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध ऐसी निम्न डिप्लोमा व्यवसाय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने सत्र 2019-20 में संस्था में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों में कमी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एफआईएलटीटीईए द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार व्यावसायिक संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपरान्त अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रम सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एफआईएलटीटीईए/परिषदकार्यालय द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एफआईएलटीटीईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं राज्य तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली तथा उक्त नियमित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा मूल्यांकन निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन शुल्क उक्त इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible]/– प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्रम हेतु रू0– [illegible]/– प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रम के प्रतिशतांश) हेतु रू0– [illegible] प्रतिवर्ष मूल्यांकन शुल्क की धनराशि प्रत्येक/प्रत्येक के साथ किया जायेगा। उपरोक्त के प्रतिशतांश प्रत्येक/प्रत्येकों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पाठ्यों की ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था की समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियमित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था की एफआईआरिटिएफ के अनापत्ति पत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नियमों/नियमावली/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्रारंभिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ नियमित एवं अनियमित पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.टी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई रार प्राप्त नहीं करता है तथा शासन स्तर के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ नियमित एवं अनियमित पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश पत्र के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आवश्यकता प्राप्त होने से पूर्व नोडल एजेंसी के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवश्यकता के अनुसार संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की एनआरसी प्रतिभूति, स्टाफ, छात्र-छात्राएं, पाठ्यक्रम, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की निरीक्षण-प्रतिवेदन हेतु आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के साथ नियमित रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रायोजित/अप्रायोजित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण अधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, मूलि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था कार्यालय का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सतीश कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2019/1153-2352 दि0 दिनांक: 15-6-2019

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, महाविद्यालय (सभी प्रकार के पाठ्यक्रम), आजमगढ़ नगर पालिका परिषद मार्टीनपुर जिला आजमगढ़।

(सतीश कुमार सिंह)
सचिव

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— [illegible] —

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] जिला [illegible] (अवस्थापना शाखा) सीमा विवादित घोषित हुआ नहीं तथा अनुच्छेद-[illegible] हेतु सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाना है, तो सीमा की घोषणाएं की जानी होंगी।

- ✓ [illegible] की (जनपद अधिकारियों जिला अधिकारियों तथा उप अधिकारियों, तहसीलदारों का समस्त जिला तथा विभागाध्यक्षों/प्रभाग की सभी का अनुपालन कराना होगा।
- ✓ शासन के अनुसार सीमा घोषित सीमाएं द्वारा आवंटित जनपदों को ही दी गयीं किन्तु [illegible] जिले के जिला या जनपद की स्थिति में जनपद सचिव शासन के निर्देशानुसार ही शासन की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ शासन की समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं समयबद्ध सुनिश्चित समय समाप्त होगा।
- ✓ शासन की एजेन्सी/[illegible]/[illegible] के अधिकारी तथा हेतु अनुपालन करना किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ शासन शासन सचिव शासन द्वारा जारी सभी सिटी/[illegible]/अधिसूचनाओं/आदेशों/निर्देशों पर निर्धारित अधिकार जिला, जनपद, मण्डल सीमा घोषित सीमाएं, पुनर्गठन तथा अधिकार जिला घोषित, जनपद द्वारा शासन तथा निर्धारित, अधिकारियों/कर्मचारियों, निर्देशों का पालन करने के लिये समय होगी।
- ✓ [illegible] द्वारा अधिकार पदाधिकारी की अवधारणा जारी की गयी [illegible] एवं जिलों के अनुपालन प्रभार करने के अनुपालन पत्रों के [illegible] द्वारा संबंधित प्रशासनिक सभाओं का होना और जिला विभिन्न का में जिलों की कार्यवाही के लिए समय समय पर [illegible] अधिकारियों होगी। अधिकारियों जिला घोषित, अनुपालन प्रभार घोषित घोषित, अधिकारियों जिला निर्धारण एवं अधिकारियों जिला जिलाए [illegible] शासन शासन [illegible] की समयों का [illegible] जिला समय है तथा [illegible] द्वारा [illegible] के [illegible] द्वारा जिलों [illegible] की [illegible] समयों अधिकार निर्गत जिला समय है तो [illegible] अधिकारी समयों [illegible] समय की कार्यवाही होगी।
- ✓ जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही [illegible] [illegible] कार्यों [illegible] की अनुपालन अधिकार घोषित घोषित, [illegible] जिलाधिकारी द्वारा अधिकार [illegible] के लिए अधिकारियों अधिकार घोषित [illegible] हेतु अधिकारियों द्वारा द्वारा के पूर्व [illegible] के अनुपालन [illegible] द्वारा अधिकार घोषित अधिकारियों की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (अधिकारियों के [illegible] के [illegible] समय [illegible] घोषित) अनुपालन नहीं करना की जायेगी।
- ✓ शासन घोषित [illegible] द्वारा अधिकार हेतु निर्गत घोषित [illegible] शासनादेश जिलों का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा।
- ✓ शासन की अपनी विभागों का समय की [illegible] अनुपालन होने समय की [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] जिला [illegible] [illegible] अनुपालन, [illegible] अनुपालन [illegible] का विभाग [illegible] कराना होगा।
- ✓ शासन की विभाग-परिवार हेतु [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] होगी के [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होगी।
- ✓ शासन का पुनर्निर्धारण में जो कि शासन के [illegible]/[illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] हेतु निर्धारण घोषित के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] घोषित, [illegible] [illegible] का [illegible] शासन द्वारा जिलों [illegible] [illegible] के [illegible] के [illegible] जिला [illegible] है और [illegible] की [illegible] [illegible] होगी है कि [illegible] [illegible] का [illegible] जिलों [illegible] [illegible] के लिए [illegible] की है तो [illegible] शासन की [illegible] [illegible] जिलों [illegible] की अनुपालन की जायेगी।
- ✓ [illegible] [illegible] का अनुपालन [illegible] जिले [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] जिले [illegible] की जिलों के जिलाधिकारी अनुपालनार्थ [illegible] की जायेगी।

(एस. [illegible] सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन- [illegible]/[illegible] [illegible]/[illegible]/ [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]-[illegible]

प्रतिलिपि-[illegible]/[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]।

(एस. [illegible] सिंह)
सचिव

भारतीय,

प्राविधिक, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- प्राविधिक/परिषद/लखनऊ/2021-22/137 **लखनऊ: दिनांक- 06.04.2021**

प्रमाणित शासनादेश

महोदय, माननीय उच्च शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय वा.प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय उच्च शिक्षा शैक्षिक संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ में संबद्धता/सम्बद्धता नियमावली प्रदान किए जाने हेतु नियमित- 2020 परिषद शासनादेश में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न पूर्व बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु संबंधित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थानों को सम्बद्धता नियमावली/शासनादेश अनेक बिन्दुओं पूर्ति संबंधित कमियां पाई गयी तथा नियम बनाये गए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता नियमावली प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में नियुक्त संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शासनादेश एवं उसमें वर्णित अनेक अनेक हेतु सम्बद्धता नियमावली प्रदान की जाती है:-

संस्थान का पूर्ण पता एवं नाम : ADITYANATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SANAND NAGAR, POST BAGHKHURD, GHAZIPUR

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एन.आर.सी.सी.सी.टी. दिल्ली/आई.टी. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
6	TEXTILE ENGINEERING	30	30
7	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
8	INFORMATION TECHNOLOGY	15	15

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था एन.आर.सी.सी.सी.टी./आई.टी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं सम्बद्ध उच्च प्राविधिक शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालयों सम्बद्ध, संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा समय समय पर निर्गत नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन लाख (तीन) पचासहजार (रु. 3,50,000.00)- प्रतिवर्ष, दो लाख पचासहजार पचासहजार (रु. 2,50,000.00)- प्रतिवर्ष तथा एक लाख दो लाख पचासहजार (दो लाख पचासहजार) के न्यूनतम (रु. 2,50,000.00)- प्रतिवर्ष शुल्क से अधिक लाभ संस्था में प्रवेश लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यापकगणों के शुल्क के अलावा भी अन्य-अन्य मद शुल्क निर्धारित किये जाने वाले सम्बन्धित प्रवर्गों होंगे, जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति विकास/अल्पसंख्यक होने पर निर्धारण समिति द्वारा पारित सत्र 2021-22 हेतु शुल्क का पूर्णतया विवरण पत्रक है, जो शुल्क की पर्याप्तता दर्शाता है।

✓ संस्था की प्रबन्धन प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्था की कार्य सम्बन्ध विभाग तथा विश्वविद्यालयों द्वारा जारी

का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संचालित प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा अभ्यर्थित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा किसी के विरुद्ध यह पाये जाने की स्थिति में उच्च प्राधिकरण के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था की शासन/शासन पत्र निर्गत मानकानुसार के अनुसार नियोजन एवं समन्वयन सुचारु रूप से करना होगा।
- ✓ संस्था की छात्र/छात्राओं/शिक्षक/शिक्षेतर कर्मचारी के अभिभावक का टूल अनुपालन द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्राधिकरण मानकों द्वारा मानकों में निर्धारित/निर्धारित-अनिवार्य/मानकानुसार/प्रतिनियुक्ति पर नियोजन, अनिवार्य शिक्षा, उच्चतर, माध्यमिक प्रवेश परीक्षा परिषद्, उच्चतर तथा अनिवार्य शिक्षा परिषद्, उच्चतर द्वारा मानकों में निर्धारित, शिक्षकों, कर्मचारी, नियोजन का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ नियोजन द्वारा कार्यरत पदाधिकारी की संख्या/पदों की पूर्ति की जाएगी, यदि नियमों के अनुपालन द्वारा मानकों में अनिवार्य पदों हैं तो इस संस्था में संचालित उच्चतर/माध्यमिक संस्था का ईकाई नोडल अधिकारी के रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्तर उपलब्धि होगी। अनिवार्य शिक्षा परिषद्, माध्यमिक प्रवेश परीक्षा परिषद्, अनिवार्य शिक्षा नियोजन एवं अनिवार्य शिक्षा विभाग, उच्च प्रवेश मानकों की कार्यवाही तथा उनका विभाग मानक है। उच्च स्तरीय मानक के संबंध में यह, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रोन्नतियों संबंधी मानदंड निर्धारित किया जाता है तो मानकों प्रोन्नतियों संबंधित संस्था को मानना होगी।
- ✓ नियोजन द्वारा कार्यरत पदाधिकारी मानकानुसार योग्यतायें मानने वाली संस्थाओं को माध्यमिक प्रवेश परीक्षा परिषद्, उच्च प्रवेश मानकानुसार, द्वारा प्रवेश पत्रों के लिए अभ्यर्थित प्रवेश परीक्षा द्वारा अभ्यर्थित द्वारा द्वारा के पूर्व निर्धारित/अनुमोदित के अनुपालन द्वारा मान्य परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा मानकानुसार होगा मानकानुसार उन्हें प्रवेश की प्रक्रियाओं में पालन के मानकों संबंध मानक पत्र पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रवेश मानकानुसार द्वारा प्रवेश टूल निर्धारित मानकानुसार अनुसार नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने विकास पर संस्था की आवश्यकता मुताबिक, जैसे संस्था की शैक्षणिक पूर्ति पूर्ति, भवन, कक्ष-कक्ष, उपकरण, द्वारा निर्माण कार्य तथा सुधार, आवासीय सुधार आदि का नियमानुसार कराना होगा।
- ✓ संस्था को नियमानुसार/प्रशिक्षण टूल अनुसूचित मानकानुसार उपलब्ध कराने के साथ शिक्षण शैक्षणिक के संबंध में समय-समयानुसार मानकानुसार सूचीबद्ध करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रवर्तमान संचालित मानकानुसार को पालन करने वाले टूल नियोजन कमेटी के समक्ष उपलब्ध कराने वाले अभिलेख, सूचीबद्धता, अभिलेख, उपलब्धता सुनिश्चित का नहीं संस्था द्वारा किसी अन्य मानकानुसार के संबंधमात्र में प्रवेश दिया जाता है। जांच परीक्षण की प्रक्रियाएं अनिवार्य होती है कि संस्था उपलब्धता का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं है तो उपलब्ध संस्था की समस्त प्रवेश/नियमों किसी को की अनुपालन की जायेगी।
- ✓ संस्था के समस्त नियोजन टीचर की संस्था में भूमि, भवन, अभिलेखालय, उपकरण एवं अन्य कक्ष-कक्षों एवं सूचीबद्ध/नियोजित नियमित/अनुबंधित/प्रतिनियुक्त के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की समस्त प्रवेश कराना का दी जायेगी।
- ✓ समस्त कार्यों का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्यों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ.सं.- अभिलेखनिधि/ मानकानुसार/2021-2022-अंकेक्षण दिनांक- 00/00/2021

प्रतिलिपि-

प्रबन्धतन्त्र/प्रधानाचार्य **KASHINATH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SANAND NAGAR, POST BAGHSHURI, GHAZIPUR**

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव